# निगरानी/एल.आर./5006/2004/चित्तोड़गढ़
## हफीज खां वगैरा बनाम सरकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**

**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री नरपत भाकल अधिवक्ता प्रार्थीगण ब्रिफ होल्डर।
(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी।

**निर्णय** **दिनांकः 21.11.19**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के निर्णय दिनांक 06–08–2004 अपील सं0 119/2004 बउनवान हाफिज खां बनाम सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

**2–** निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण खसरा सं0 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907 कुल रकबा 11–58 है0 भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त भूमि खड़मदार की भूमि थी जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी अधिकार प्रापत हो गये तथा उक्त खातेदारों से यह भूमि खरीदकर काबिज हुए करीब 40 वर्ष हो चुके हैं तथा तब से लगातार प्रार्थीगण भूमि पर काश्त कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जिलाधीश चित्तोड़गढ़ ने अपने आदेश क्रमांक 1406 दिनांक 24–11–2003 के द्वारा इस भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया, जिस आदेश दिनांक 24–11–2003 के विरूद्व विद्वान अपीलीय न्यायालय के यहां अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 6–8–2004 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जिस निर्णय दिनांक 6–8–2004 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि विद्वान जिला कलक्टर ने अपने आक्षेपित निर्णय में टेबल सं0 2 के क्रम सं0 5 में अंकित भूमियों पर प्रार्थीगण को काबिज काश्त माना। इस भूमि पर बिना किसी

निगरानी/एल.आर./8158/2008/जोधपुर
मानसिंह बनाम सरकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आधार के मन्दिर की भूमि मानकर बेदखल किये जाने का जो आक्षेपित निर्णय पारित किया वह पूर्णतया अवैद्य है। विद्वान जिलाधीन द्वारा पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की किन शक्तियों तथा विधि के तहत पारित किया गया, यह उक्त आदेश में कहीं भी अंकन नहीं किया गया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निहित शक्तियों का अवैद्यानिक प्रयोग कर पारित किया है। किसी भी काबिज काश्त व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना बेदखल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी जिला कलक्टर द्वारा रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश अत्यन्त ही अविधिपूर्ण तरीके से पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में रिसीवर नियुक्ति बाबत जो प्रावधान हैं वे किसी वाद एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के लम्बित रहते रिसीवर नियुक्त किये जाने के बारे में है परन्तु इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित ही नहीं है तथा प्रशासनिक आदेश के द्वारा इस प्रकार का रिसीवर नियुक्ति का आदेश पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक साबित है। कृषि भूमि के संबंध में समस्त प्रक्रिया तथा कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनिय के तहत ही की जा सकती है किसी प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र द्वारा किसी काबिज व्यक्ति को बेदखल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में अवैद्यानिक कार्यवाही को मान्यता देते हुए विधिक प्रावधानों को पूर्णतया नजर अंदाज करक प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का गलत निस्तारण किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 6-8-2004 को अपास्त किया जावें।<br>5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार ने निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में मन्दिर के नाम दर्ज अभिलेखित है। इसलिए पुनरावेदको को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। पुनरावेदक द्वारा मन्दिर की भूमि पर | |

**निगरानी/एल.आर./8158/2008/जोधपुर**
**मानसिंह बनाम सरकार**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर खुर्द खुर्द करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए विद्वान जिला कलक्टर एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से निगरानी काबिल खारिज योग्य है।<br>6- दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br>7- विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 6-8-2004 में माना कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में खाता सं0 680 पर श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह खातेदार दर्ज होकर मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग के नाम है। मन्दिर नाबालिग के हितों की रक्षा करने के लिए तीन सदस्यी कमेटी का गठन राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के पत्र क्रमांक प. 6(17)अनु/3/2002 दिनांक 27-5-2002 के अन्तर्गत किया गया है। पुनरावेदक प्रार्थी इस भूमि के संबंध में अपना प्रथम दृष्ट्या प्रकरण राजस्व अभिलेख के आधार पर सिद्ध नहीं करा पाये हैं जिससे उन्हें मन्दिर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का विधिक हक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पुनरावेदक विवादित भूमि के संबंध में अपना स्वत्व सिद्ध नहीं करा देवें तब तक वह स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।<br>8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह के नाम दर्ज उक्त प्रश्नगत भूमि मेवाड़ स्टेट गत भू-प्रबन्ध, वर्तमान भू-प्रबन्ध तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही है। उक्त कुलिया भूमि में से टेबल नं0 2 बिन्दू सं0 2 पर अंकित कुल किता 8 कुल रकबा 1-94 है0 भूमि जो न्यायालय के आदेश अनुसार नायब तहसीलदार चित्तोड़गढ़ की रिसीवरी में है, के अलावा सभी काबिज व्यक्ति मन्दिर की भूमि पर अवैद्यानिक रूप से काबिज है तथा कब्जेदार उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने, स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने का भी | |

**निगरानी/एल.आर./8158/2008/जोधपुर**
**मानसिंह बनाम सरकार**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अंदेशा जाहिर किया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के पत्र क्रमांक प.6 (17) अनु-3/2002 जयपुर दिनांक 27-5-2002 से राजस्थान के राजकीय विज्ञापित मन्दिरों के अलावा अर्थात जो अराजकीय मन्दिर/पूजा स्थल स्थित है उनकी व्यवस्था हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन कर निर्धारण किया है कि धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण/नाजायज कब्जे और अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज करने की धटनाओं को रोकना तथा उन्हें मुक्त कराना, धार्मिक स्थानों के स्थानीय व्यक्तियों की आस्था और विश्वास के अनुरूप संरक्षण एवं विकास हेतु समुचित कार्यवाही करना, धार्मिक स्थलों की भूमि का उचित प्रबन्धन एवं कृषि भूमि को समय-समय पर उचित व्यक्तियों को काश्त हेतु अथवा उचित कार्य हेतु अस्थाई रूप से आवंटित करना और प्राप्त होने वाली आय को मन्दिर के प्रबन्ध/सेवा पूजा/धार्मिक आयोजनों के लिए उचित व्यवस्था करना एवं मन्दिर का समुचित विकास करना आदि के निर्देश प्रदान किये गये थे। चूंकि मन्दिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है एवं मन्दिर मूर्ति की भूमि एवं सम्पति को सुरक्षित रखने एवं उसका उचित प्रबन्धन करने का कर्त्वय सरकार का है। भूमि मेवाड़ स्टेट से लगाकर वर्तमान तक मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नं0 1147/1997 निर्णय दिनांक 7-11-1997 मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पैरा सं0 13 में सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायिक सिद्वान्त एवं जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ ही स्थान देह की टेबल नं0 2 में अंकित खातेदारी भूमि कुल किता 34 रकबा 11-58 है0 भूमि में से टेबल नं0 2 के बिन्दु सं0 2 पर अंकित कुल किता 8 कुल रकबा 1-94 है0 भूमि जो नायब तहसीलदार चित्तोड़गढ़ की रिसीवरी है, को छोड़कर शेष सभी भूमि एवं इस पर स्थित परिसम्पतियों का कब्जा राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 27-5-2002 में गठित कमेटी को दिये जाने के एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि उक्त भूमि एवं उन पर स्थित परिसम्पतियों | |

**निगरानी/एल.आर./8158/2008/जोधपुर**
**मानसिंह बनाम सरकार**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | का कब्जा प्राप्त कर राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27-5-2002 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रबन्धक के जो आदेश प्रदान किये गये हैं, वे उचित एवं कानून सम्मत पारित किये गये हैं जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6-8-2004 से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण राजस्व अभिलेख के आधार पर निगराकार सिद्व नहीं कराये पाये हैं। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार के तर्को से हम सहमत हैं कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में मन्दिर के नाम दर्ज अभिलेखित है। इसलिए पुनरावेदको को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। पुनरावेदक द्वारा मन्दिर की भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर खुर्द खुर्द करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः निगराकार को मन्दिर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का विधिक हक नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना स्वत्व सिद्व नहीं करा देते तब तक वह स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक कानूनी त्रुटि नहीं पाते हैं। इसलिए निगराकार की निगरानी खारिज योग्य है।<br>9- फलस्वरुप निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-8-2004 व विद्वान जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2003 यथावत रखें जाते है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(सुरेन्द्र माहेश्वरी)<br>सदस्य | |

<u>निगरानी/एल.आर./8158/2008/जोधपुर</u>
मानसिंह बनाम सरकार